

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर  
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं.: -0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल: -jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(के-1612/2013)/अलेसे-II/528

दिनांक :- 27-3-2023

**कार्यालय आदेश**

श्री कमल खन्ना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंग नं. 11841) कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नगर खण्ड तृतीय, जोधपुर को निम्न परीक्षा में प्रविष्ट होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम परीक्षा	सत्र/वर्ष	आयोजन संस्था
1	(MPET) परीक्षा	2023	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो उक्त स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

  
(मूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन


संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 27-3-2023

क्रमांक : एफ.4(ई)(के-1612/2013)/अलेसे-II/528

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित विभाग/कार्यालय.....।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित कार्मिक.....।

  
(के. जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)